

प्रेषक

श्रम आयुक्त,
हरियाणा, चंडीगढ़।

सेवा में,

- 1- मुख्यालय पर कार्यरत सभी अधिकारी।
- 2- क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारी।

क्रमांक नं० 30011-30213

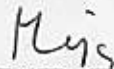
दिनांक: 31.8.18

विषय: दिनांक 03-08-2018 को हुई मुख्यमंत्री शिकायत निवारण सैल की बैठक की कार्रवाई बारे।

आप सभी को सूचित किया जाता है, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिकायत निवारण सैल के पोर्टल की देख-रेख की जाती है। दिनांक 3-8-2018 को मुख्यमंत्री शिकायत निवारण सैल की बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट मुख्यालय पर प्राप्त हुई है, यह कार्रवाई रिपोर्ट मुख्यमंत्री शिकायत निवारण पोर्टल पर भी उपलब्ध है। इस बैठक की कार्रवाई रिपोर्ट से विभाग की छवि काफी खराब हुई है। प्रायः यह देखने में आया है, कि मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत अधिकारी तथा कर्मचारी मुख्यमंत्री शिकायत सैल से प्राप्त शिकायतों को न तो समय पर अन्डरटेक करते हैं तथा न ही शिकायतों को समय पर निपटाने को गम्भीरता से लेते हैं, जिस कारण उन शिकायतों के निपटान में संबंधित द्वारा अनावश्यक देरी की जाती है।

मुख्यालय द्वारा इस मामले को गम्भीरता से लिया गया है। मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिये जाते हैं, कि मुख्यमंत्री शिकायत निवारण सैल द्वारा ऑनलाईन पोर्टल से प्राप्त शिकायतों पर निर्धारित मानदण्डों की पालना बिना किसी विशेष कारण के समय पर नहीं किया जाता है तो उस सूरत में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ बिना किसी नोटिस के तुरन्त प्रभाव से विभागीय कार्रवाई अमल में ला दी जायेगी।

इसे अति आवश्यक समझें।


अतिरिक्त श्रम आयुक्त, प्रशा०,
हरियाणा, चंडीगढ़।